रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032024-253437
CG-DL-E-28032024-253437

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1499] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 28, 2024/चैत्र 8, 1946
No. 1499] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 28, 2024/CHAITRA 8, 1946

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2024

का.आ. 1580(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 15 मार्च, 2024 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1416(अ), जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) तारीख 15 मार्च, 2024 को प्रकाशित की गई थी, द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (मो. यासीन मलिक गुट) (जेकेएलएफ-वाई) को विधि-विरुद्ध संगम घोषित किया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (इसके बाद इसे उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि, उक्त अधिनियम की धारा 7 और धारा 8 के अधीन उपरोक्त विधि-विरुद्ध संगम से संबंधित, उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा भी किया जाएगा।

[फा. सं. 14017/34/2024/एनआई-एमएफओ]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2024

S.O. 1580(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government declared the Jammu and Kashmir Liberation Front (Mohd. Yasin Malik faction) (JKLF-Y), as an unlawful association *vide* notification number S.O. 1416(E) dated the 15th March, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated the 15th March, 2024.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 42 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (herein after referred to as the said Act), the Central Government hereby directs that all powers exercisable by it under section 7 and section 8 of the said Act shall also be exercised by the State Governments and the Union territory administrations in relation to the above said unlawful association.

[F. No. 14017/34/2024/NI-MFO]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.03.28 21:08:11 +05'30'